

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 85/2017

श्रीवण पिता मोहन लाल जाट धारक निवासी खानपुरी ल
बनाम

- ① सुरा पिता कुंजोध धारक नि. खानपुरी ल
- ② सापरी पति सोराम जाट नि. खानपुरी ल
- ③ काली पति श्रीमराज भीणा नि. खानपुरी ल
- ④ भोपाल पिता ज्वारा धारक नि. खानपुरी ल
- ⑤ मदन लाल पिता सुरा धारक नि. खानपुरी ल
- ⑥ देवी पिता विशार भीणा नि. खानपुरी ल
- ⑦ शेकर पिता रामचन्द्र भीणा आदेश :- दिनांक- 15/5/17
- ⑧ श्री सावरमल रैवारी प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री श्रीवण पिता मोहन लाल धारक नि. खानपुरी ल

ने जरिये अभिभाषक ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खानपुरी ल प0ह0 खानपुरी ल तह0 माण्डलगढ में आराजीन0, 120, 238, 247, 248, 249, 262, 225 कुल रकबा 6 रकबा 17 बिघा 08 बिस्वा एवं 225 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा किता 07 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते हैं। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम खानपुरी ल की आराजी न0 120, 238, 247, 248, 249, 262, 225 कुल रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा 17 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 400 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि-भीलवाडा